न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल।

SC/ST- 31/2021
Supaul P.S. Case No. 280/2021

02 / 03 / 24

अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक लक्ष्मी पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. राम बहादुर पासवान, 2. अमित कुमार, 3. फूलो देवी, 4. रतन सिंह, 5. कुणाल सिंह, 6. प्रशांत सिंह, 7. राहुल सिंह के विरूद्व धारा 341, 323, 379, 504, 34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त 1. अमित कुमार, 2. कुणाल सिंह, 3. राहुल सिंह को अनुत्पेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त अभियुक्त 1. राम बहादुर पासवान, 2. फूलो देवी, 3. रतन सिंह, 4. प्रशांत सिंह के विरूद्व धारा 341, 323, 504 / 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 86 / 2023 दिनांक 12 / 02 / 2023 समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी की कंडिका 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से प्राथमिकी की कंडिका 07 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्व कार्यवाही वास्ते पर्याप्त आधार है।

अतः प्राथमिकी की कंडिका 07 में वर्णित अभियुक्तगण **1. राम बहादुर पासवान, 2. अमित कुमार, 3. फूलो देवी, 4. रतन सिंह, 5. कुणाल सिंह, 6. प्रशांत सिंह, 7. राहुल सिंह के विरूद्ध धारा 341, 323, 504 / 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु समन्न निर्गत करें। दिनांक 22/05/23 उपस्थिति वास्ते।

Nish Kant Thakur
2/3/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0),
सुपौल